HARYANA GOVERNMENT
TOURISM DEPARTMENT
NOTIFICATION

Dated : 12.07.2016

No.TM/AP.I/2016/2619: The Governor of Haryana hereby formulates the **Sindhu Darshan Yatra Scheme, 2016** to provide Financial Assistance to the pilgrims of the State of Haryana, namely:-

1.	**Short title and Commencement**	1. This scheme may be called the **Sindhu Darshan Yatra Scheme, 2016**. 2. This scheme will be commenced w.e.f. 1st April, 2016 and Financial Assistance will be provided to those applicants who complete the Yatra after this date.
2.	**Objects of scheme**	i) Financial Assistance shall be provided to maximum **50 (fifty)** number of pilgrims who are resident of Haryana Have completed the Sindhu Darshan Yatra through the State Govt/Centre Govt./Society. ii) The Financial Assistance will be provided upto the extent of Rs. 10,000/- or fifty percent of the actual expenditure per person which ever is less.
3.	Definitions	i. "**Administrative Secretary**" means the Principle Secretary Tourism , Govt. of Haryana. ii. "**Director**" means the Director General/Director Tourism Department Haryana. iii. "**Government**" means Haryana Government in the Administrative Department. iv. "**Eligible Pilgrim**" means the resident of Haryana who complete the Sindhu Darshan Yatra through the Concerned State/Central Govt/Society. v. "**Society**" means Society registered

		under Society registration Act 1860.
4.	Process for payment	1. A pilgrim who has completed the **Sindhu Darshan Yatra** shall submit the application within two months after completion of the Yatra through the State/Central Govt./Society to the Director Tourism Department, Haryana. 2. After scrutiny of the documents received from the State/Central Govt./Society the Director Tourism Department Haryana shall submit the same within 15 (fifteen) days to the Administrative Secretary Government of Haryana, Tourism Department for approval. 3. The requisite sanction shall be issued for payment for financial assistance through a Demand Draft.
5.	**Eligibility condition for the Scheme**	1. The Financial assistance shall be admissible to the permanent resident of the Haryana State. 2. He/She should complete the Yatra through the State Govt./Central Govt./Society and the completion certificate in this regard must be submitted by the State/Central Govt./Society and enclosed with the application. 3. The Financial Assistance shall be given only once to a pilgrim.
6.	Documents submitted with the application	The application form in the Prescribed Format enclosed at **Annexure "A"** shall be required to submitted to the Director, alongwith following documents:- 1. Attested Copy of the Permanent Residential Certificate (Domicile) of Haryana. 2. Attested Copy of the Yatra Completion Certificate from the State Govt./Central Govt./Society 3. Declaration from the pilgrim that He/She never claim this Financial Assistance earlier and would not claim it in future.
7.	Accepting	Director, Tourism Department, Haryana.

	Officer/office where Financial Assistance is to be distributed.	Director Tourism Department Haryana, SCO 17-19, Sector 17-B, Chandigarh-160017 Tel : 0172-2702955,2702956 Email id : haryanatourism@gmail.com

DR.SUMITA MISRA
Principal Secretary to Govt.
Haryana,Tourism Deptt.

Annexure "A"

Photo of applicant

Proforma
Financial Assistance for
Sindhu Darshan Yatra, 2016

1.	Name of Applicant	
2.	Father/Husband's Name	
3.	Date of Birth	
4.	Complete Present Address alongwith Telephone Number/Mobile Number	
5.	Date of Sindhu Darshan Yatra	From _______ To _________
6.	Expenditure on Sindhu Darshan Yatra (Enclose Documentary Proof)	
7.	Attested Copy of Enclosures	
i.	Copy of the Permanent Residential Certificate (Domicile) of Haryana.	
ii.	Copy of the Yatra Completion Certificate from the State Govt./ Central Govt./Society.	
iii.	Declaration Form duly signed by the pilgrim that he/she never claim this Financial Assistance earlier and would not claim it in future	

Place : Signature of the applicant

Declaration :

It is declared that the above given information is correct and true with best of my knowledge and nothing has been concealed therein. I am responsible to refund all the Financial Assistance to the Tourism Department, Haryana if any above given information has been found false.

Place : Signature of the applicant

Date :

FOR OFFICE USE ONLY

The above information and Documents enclosed given at Sr.No. 1 to 7 (i to ii) has been checked from the Original Documents supplied by the State Govt/Centre Govt/Society and found correct.

Authorized Signatory

Tourism, Department, Haryana

Declaration Form

It is certified that I ……………………S/o, D/o, W/o ………………… has done the ……………………Yatra during the period…………………………… I am claiming the financial assistance first time from the Government.

Signature of the applicant

हरियाणा सरकार
पर्यटन विभाग ।
अधिसूचना

दिनांक : 12.07.2016

क्रमांक ज्डध्|च.ष्ध्2016ध्2619 .हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसके द्वारा सिंधू दर्शन यात्रा योजना 2016 को सूत्रित करते है:–

1	संक्षिप्त नाम तथा आरम्भ होने की तिथि	1) यह स्कीम सिंधू दर्शन यात्रा स्कीम 2016 कहलाई जाएगी। 2) यह योजना 01 अप्रैल 2016 से लागू होगी तथा इस दिनांक के पश्चात यात्रा करने वाले आवेदकों को ही वित्तीय सहायता देय होगी।
2	योजना का उदेष्य	1) राज्य/भारत सरकार/संस्था के माध्यम से सिंधू दर्शन की सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न करने वाले हरियाणा के स्थाई निवासियों को 50 यात्रियों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 2) यात्रा पर वास्तव में खर्च हुई राषि का 50 प्रतिषत या 10,000 रूपये जो भी कम होगा की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
3	परिभाषाएं	1) 'प्रषासकीय सचिव' से अभिप्राय है प्रधान सचिव हरियाणा सरकार पर्यटन विभाग। 2) 'निदेषक' से अभिप्राय है महानिदेषक/ निदेषक पर्यटन विभाग हरियाणा। 3) 'पात्र तीर्थयात्री' से अभिप्राय है कि राज्य/भारत सरकार/संस्था द्वारा यात्रा पूर्ण करने वाले हरियाणा के स्थायी निवासी। 4) 'सरकार' से अभिप्राय है प्रषासनिक विभाग में हरियाणा सरकार। 5) 'संस्था' से अभिप्राय है संस्था पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था।
4	आवंटन की प्रक्रिया	1) राज्य/भारत सरकार/संस्था के माध्यम से सिंधु दर्षन यात्रा करने वाले श्रद्धालु यात्रा समाप्ति के दो माह के अन्दर अपना आवेदन महानिदेषक, पर्यटन विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। 2) निदेषक, पर्यटन विभाग, राज्य/भारत सरकार/संस्था के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों का मूल से मिलान कर सही पाने पर इस आषय का नोट अंकित करके 15 दिन के अन्दर मामले को अनुमति हेतू अग्रेषित करेंगे। 3) उपरोक्त अनुमति उपरान्त डिमांड ड्राफ्ट द्वारा वित्तीय सहायता जारी करने हेतू वांछित स्वीकृति जारी की जाएगी।
5	योजना की शर्ते/पात्रता	1) इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल

		स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा। 2) सिंधु दर्षन यात्रा राज्य/भारत सरकार/संस्था के माध्यम से की जानी होगी एंव यात्रा समाप्ति के पश्चात राज्य/भारत सरकार/संस्था द्वारा सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। 3) तीर्थयात्री को यह वित्तीय सहायता केवल एक बार ही दी जाएगी।
6	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	निर्धारित (अनुबंध 'ए') प्रपत्र में आवेदन महानिदेषक, पर्यटन विभाग को निम्न दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना वांछित होगाः– 1. हरियाणा के मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति। 2. राज्य/भारत सरकार/संस्था से यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति। 3. तीर्थयात्री की घोषणा, कि उसने इस यात्रा के लिए पहले कभी वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत नही किया है और न ही भविष्य में करेगा।
7	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी/कार्यालय जहां राषि आवंटित की जानी है।	निदेशक पर्यटन विभाग हरियाणा, एस.सी.ओ. 17–19, सैक्टर–17 बी, चण्डीगढ। फोनः– 0172.2702955–56 म्ंपस पक रू ींतलंदंजवनतपेउ/हउंपसण्बवउ

डा0 सुमिता मिश्रा
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
पर्यटन विभाग चण्डीगढ।

सिंधु दर्शन यात्रा 2016 के लिए वित्तीय सहायता हेतू आवेदन का प्रारूप

पर्यटन विभाग हरियाणा
चण्डीगढ।

vkosnd dk QksVks

विषयः– **सिंधु दर्शन_यात्रा हेतु सहायता अनुदान स्वीकृति के क्रम में।**

1	आवेदक का नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	जन्म दिनांक	
4	वर्तमान पता टेलीफोन सहित	
5	सिंधु दर्शन यात्रा की अवधि	
6	सिंधु दर्शन यात्रा पर हुआ खर्च (प्रमाण सहित)	
7	संलग्नक की सत्यापित प्रति i) हरियाणा के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ii) राज्य/भारत सरकार/संस्था से सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न करने का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। iii) तीर्थयात्री की घो"k.kk] fd mlus bl ;k=k ds fy, igys dHkh foRrh; lgk;rk ds fy, nkok izLrqr ugh fd;k gS vkSj u gh Hkfo"; esa djsxkA	

दिनांक .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

घोषणा

मै घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में प्रदान की गई सूचना सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई नही गई है। उल्लेखित विवरण में किसी भी तथ्य के मिथ्या प्रकट होने पर सहायता राशि विभाग में जमा कराने का उत्तरदायित्व मेरा होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी................ निवासी .... सत्यनिष्ठा के साथ प्रमाणित करता/करती हूं कि मैने कैलाश मानसरोवर यात्रा दिनांक .... से .... तक पूर्ण की है तथा इसके लिए मै प्रथम बार वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग हेतू

उपरोक्त कर्म संख्या 1 से 7 में दी गई सूचना तथा संलग्न दस्तावेजों का, राज्य/भारत सरकार/संस्था द्वारा भेजे गए मूल दस्तावेजों के साथ मिलान किया गया तथा सूचना सही पाई गई है।

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
पर्यटन विभाग हरियाणा।

<u>घोषणा फार्म</u>

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी................ निवासी .... प्रमाणित करता/करती हूं कि मैने सिंधु दर्शन यात्रा दिनांक .... से .... तक पूर्ण की है तथा इसके लिए मै प्रथम बार वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर